<u>प्रेस नोट दिनांक 08.01.2021</u>

1. दिनांक 07.01.2021 को वादी श्री मोहित पुत्र स्व0 रामदेव नि0 पीडब्लूडी कालोनी थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विवेक प्रताप सिह उर्फ बोनी सिह आदि 03 नफर व 10–12 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा एक राय होकर वादी के भाई रवि कुमार गौड़ को पुराने मुकदमे मे सुलह करने की बात को लेकर जातिसूचक गाली देना व अवैध असलहे, सरिया राड आदि से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए 1200 रूपये छीन लेना। जिसके संम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 12/21 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 392, 308, 504, 506 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 07.01.2021 को वादी श्री दीनानाथ सिंह पुत्र महातम सिंह नि0 राजकीय उद्यान राजघाट थाना रा0ज0भू0 अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखे से वादी का एटीएम कार्ड बदल कर खाते से 35000/रू0 निकाल लेना। जिसके संम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 13/21 धारा 379, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 07.01.2021 को वादी श्री तौहीद अहमद पुत्र महबूब अली नि08/5/83 खिडकी अलीबेग थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का ट्रक सं0यूपी 42 टी 7272 चोरी कर लेना। जिसके संम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 14/21 धारा 379 भादवि **156(3)द0प्र0सं0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।**

4. दिनांक 07.01.2021 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरजीत निषाद पुत्र रामनरायण निषाद नि0 रेतिया थाना कैण्ट अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकडे जाना, मौके से मालफड़ व जामा तलाशी 1110 रू0 व ताश के 52 पत्ते बरामद होना जिसके संम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 07/21 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 07.01.2021 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पुष्पा निषाद पत्नी राकेश निषाद नि0 रेतिया थाना कैण्ट अयोध्या अभियुक्ता के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 08/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 07.01.2021 को वादी उ0नि0 श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुशील साहू पुत्र स्व0 रामतीरथ साहू नि0 नहरबाग मिर्जाअली बाजार थाना कैण्ट अयोध्या अभि0 के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 09/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 07.01.2021 को वादी श्री मो0 अहमद पुत्र इल्तिफाक नि0 सीवन वाजिदपुर थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 हम्माद अहमद नि0 सीवन वाजिदपुर थाना पटरंगा अयोध्या आदि 06 नफर अभि0गण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डे से मारना व ईट गुम्मा चलाना, जिससे वादी के पुत्र का हाथ टूट जाना। जिसके संम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 04/21 धारा 147, 323, 325, 336 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।